सं0 11013/7/99-स्था0 (क)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: सेवा संबंधी मामलों के बारे में सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर गृह-मंत्रालय के दिनांक अप्रैल 30, 1952 के कार्यालय-ज्ञापन सं0 118/52-स्था0 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है ।

2. इन अनुदेशों में यह अपेक्षा की गई है कि जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा-अधिकारों अथवा अपनी सेवा-शर्तों से जुड़े किसी मामले में अपना कोई दावा पेश करना चाहे अथवा अपनी किसी शिकायत का निवारण करवाना चाहे तो वह अपना दावा/अभ्यावेदन अपने से अगले वरिष्ठ/उच्चतर अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा निम्नतर स्तर के किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को ही प्रस्तुत करे जो उक्त मामले की जाँच-पड़ताल करके उसमें यथोचित कार्रवाई करने में सक्षम हो । हाल ही में यह देखा गया है कि विभिन्न स्तर के अधिकारियों की प्रवृत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्धारित माध्यमों से कतराकर; उनकी पूर्णतः अनदेखी करके सीधे उच्चतर अधिकारियों को लिखने की रही है । बड़े विभागों में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है जहाँ लिपिकीय स्तर के बहुत कनिष्ठ कर्मचारी ही प्रायः अपने अनेक अभ्यावेदन मंत्री, प्रधान मंत्री और अन्य कृत्यकारियों को संबोधित करते रहते हैं । व्यक्तिशः अभ्यावेदनों के अतिरिक्त सेवा-संघों में भी वैयक्तिक (व्यक्ति विशेष के हित से जुड़ी) शिकायतों से संबंधित अभ्यावेदन मंत्रियों और प्रधान मंत्री को लिखने की प्रवृत्ति पनप रही है । इनमें से कुछ अभ्यावेदन केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन करके प्रायः सांसदों के माध्यम से भिजवा दिए जाते हैं ।

3. इस बारे में मौजूदा अनुदेशों में स्पष्टतः यह प्रावधान किया गया है कि सेवा से संबंधित मामलों में अभ्यावेदन उचित माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए । यह अवस्था भी गृह-मंत्रालय के दिनांक 20-12-88 के का0ज्ञा0सं0 25/34/68-स्था0 (क) (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शा दी गई है जब ऐसे अभ्यावेदन की अग्रिम प्रतिलिपि उच्चतर अधिकारियों को भेजी जा सकती है । विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदन निबटाए जाने की समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं । यदि यह लग रहा हो कि कोई अपील अथवा

....2/-

याचिका उसके प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर ही नहीं निबटाई जा सकती तो संबंधित व्यक्ति को एक मास के अंदर ही ऐसी अपील अथवा याचिका की पावती अथवा उसका अंतरिम उत्तर भेज दिया जाना चाहिए ।

4. इस तरह, सरकारी कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें निबटाए जाने के बारे में पर्याप्त अनुदेश मौजूद हैं । ऐसी स्थिति में, सम्प्रेषण के निर्धारित माध्यम से कतराकर अभ्यावेदन सीधे उच्चतर प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने के मामले गंभीरता से लिए जाते हैं और उन कर्मचारियों के खिलाफ़ समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए जो उन अनुदेशों का उल्लंघन करें क्योंकि ऐसा उल्लंघन अशोभनीय आचरण माना जा सकता है जिसके संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1) (iii) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

5. यह अनुरोध है कि ये अनुदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में ला दिए जाएँ और उन कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाए जो इन अनुदेशों का उल्लंघन करें ।

(टी. ओ. टॉमस)
भारत सरकार के उप सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1. भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ-लोक-सेवा-आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, नई दिल्ली ।
5. सभी संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासन ।
6. लोक-सभा/राज्य-सभा-सचिवालय ।
7. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय और गृह -मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय और गृह-मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।

(टी. ओ. टॉमस)
भारत सरकार के उप-सचिव